

2026/28

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1958 के नियम 138 के अन्तर्गत)

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

तहसील का नाम

क्र. सं.	खाता सं.	खसरा नंबर	रकबा ईमाल	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	वि.वि.०
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	261	200 वंगर क्रि. 07	0.0379 3.7175	चौलाराम पुत्र सुरमा भारि - गरासिथा सा. ई. खानेदा रहन - शमस्थान मकथरा शामीठा शमथरा मानपुर	चौलाराम पुत्र सुरमा भारि - गरासिथा सा. ई. खानेदा रहन - शमस्थान शामीठा मानपुर	

मुतादिक मिकल/जमावदी संयत 2026-27 (आगत 2026 से शायी) के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 138 राज० भू० राजस्व अधिनियम 1958 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलपर के सन्क्ष अग्रण योग्य है।

साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट प्रत्यारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है।

प०हल्का वजारीया मू०अ०नि० मुंगथला की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण गन्दोबस्त सक्रियाओं के दौरान/पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलपर को सादर प्रेषित है।

प०हल्का वजारीया मू०अ०नि० मुंगथला राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। हात जमावदी में जमत किया जावे।

दिनांक 13/12/2024
 उपखण्ड अधिकारी
 तहसील-आबूरोड़ (सि.)
 H.O. मू०अ०नि०
 JLR मुंगथला

दिनांक 13/12/2024
 उपखण्ड अधिकारी
 तहसील-आबूरोड़
 जिला-सिरोही उपखण्ड अधिकारी
 उपखण्ड कार्यालय, आबूरोड़